



संख्या : 3749/जी0एस0(शिक्षा)/A3-63/2019

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 25 अगस्त, 2025

महोदय,

कृपया कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा इस सचिवालय को प्रेषित पत्र संख्या 623 दिनांक 28.09.2024 एवं पत्र संख्या 278, दिनांक 17.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाजपुर, ऊधम सिंह नगर को एम0कॉम0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय/संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाजपुर, ऊधम सिंह नगर।	एम0कॉम0	60 सीट प्रति सत्र	2021-22 एवं 2022-23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, शासन से समन्वय स्थापित करते हुए महाविद्यालय में भवन मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Digitally signed by भवदीया,

REENA JOSHI

Date: 25-08-2025

17:10:32

(रीना जोशी)

कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 3749 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-63/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by

Shri Laxman Ram Arya आज्ञा से,

Date: 25-08-2025

17:41:28

(लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के उपसचिव।